

आदेश की कम सं०
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कारवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख के
साथ

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 166/13-14 मो० अख्तर हुसैन वनाम् चन्देश्वर यादव एवं अन्य आदेश

आवेदक मो० अख्तर हुसैन पिता स्व० अब्दूल समद निवासी ग्राम महुअरी नुरुल्लाह थाना वो जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित जमीन का नापी कराकर पीलरींग कराने का अनुरोध किया है। विवादित जमीन जो मौजा महुअरी नुरुल्लाह थाना वो जिला अरवल में अवस्थित है, निम्न है:-

खाता	खसरा	रकवा	चौहद्दी
60	475	35 डी०	उ०- इस्फाक चौधरी द०- सड़क पू०- विपक्षीगण प०- विजय सिंह

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:-

- (1) विवादित जमीन आवेदक के पिता द्वारा खरीदगी भूमि है जिसपर वे शांतिपूर्वक दखल काबिज चले आ रहे हैं।
- (2) विवादित भूमि अंचल अमीन अरवल द्वारा पैमाईश कर चिन्हित भी कर दिया गया है, जिसपर आवेदक संतुष्ट है।
- (3) विपक्षीगण अंचल अमीन द्वारा नापी को नकारते हुए विवादित भूमि को अनैतिक तरीका से कब्जा कर लेना चाहते हैं और अमीन द्वारा गाड़ा गया ईट को उखाड़ दिया एवं 6 फीट चौड़ा उत्तर पूरब कोण से लेकर लगायत दक्षिण पूरब कोण तक (लगभग 150 फीट लम्बा उत्तर से दक्षिण) भूमि को बाजबरदस्ती कब्जा कर विवाद खड़ा किये हुए हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अंचल अमीन से नापी कराकर पीलरींग कराने का अनुरोध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।


विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:-


- (1) प्रथम पक्ष के आवेदन एवं श्रीमान् के न्यायालय से निर्गत नोटिस से यह स्पष्ट होता है कि विपक्षीगण प्रश्नगत भूमि के पूरब में है।
- (2) विपक्षीगण का उक्त मकान लगभग 1942 ई० से ही निर्मित है जबकि प्रथम पक्ष के पिता ने 01.07.61 में प्रश्नगत भूमि निबंधित केवाला के माध्यम से खरीद किया है।
- (3) विपक्षीगण सहित ग्रामीण जनता उक्त रास्ता से 1942 ई० से ही आते जाते हैं। लेकिन प्रथम पक्ष असामाजिक तत्वों के साथ गोंठ कर उक्त रास्ता को बंद करना चाहता है।
- (4) अमीन प्रतिवेदन काफी त्रुटिपूर्ण है।
- (5) अमीन प्रतिवेदन के अनुसार सर्वे प्लॉट नं० 475 का कुल रकवा 37.49 डी० है

और आवेदक 35 डी० जमीन पर कायम है। अतः वाद खारिज होने योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। विवादित जमीन खाता 60 प्लॉट 475 का कुल रकवा 35 डी० आवेदक के पिता के नाम से खरीदगी भूमि है। विवादित खेसरा 475 का कुल रकवा 37.49 डी० है जिसमें आवेदक उपरोक्त 35 डी० भूमि पर काबिज है। परन्तु विपक्षीगण के द्वारा उक्त विवादित जमीन के आर को काट दिया गया है। अतः न्यायालय अंचल अधिकारी अरवल को आदेश देती है कि वे एक बार पुनः विवादित जमीन का अंचल अमीन से नापी कराये और आवेदक के खर्च पर पीलरींग कराये। आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी, अरवल को अनुपालन हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित


प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।


प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।